कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा

विज्ञापन संख्या–01/2021

माननीय पटना उच्च न्यायालय के पत्रांक 1948–84/ए0डी0 (मिस) दिनांक 11.01.2021 के आलोक में त्वरित न्यायालय, दरभंगा के लिये तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा हेतु सेवानिवृत्त या दिनांक 28.02.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय व्यवहार न्यायालय कर्मी से आवेदन आमंत्रित की जाती है। यह नियोजन त्वरित न्यायालय की समाप्ति तक अथवा 65 वर्ष की उम्र तक (इसमें जो पहले हो) अस्तित्व में रहेगी। इसकी वेतन एवं सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3978 दिनांक 23.03.2018 के अनुसार लागू होंगी। उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगीः–

1. जिनपर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
2. जिनपर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
3. जिनपर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
4. जिनपर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(आवेदक अपने आवेदन में उपरोक्त शपथ–पत्र संलग्न करें)

- नियोजन हेतु चयन के समय आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
- एक जिला से सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवक अन्य जिला में भी नियोजन के लिये पात्र माने जायेंगे।
- आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पत्राचार का पता, मोबाईल नंबर, जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति का स्थान, सेवानिवृत्ति के समय पदनाम, आदि विवरणी आवेदन में अंकित करें।
- पुनर्नियुक्ति के इच्छुक आवेदकों से दिनांक 09.02.2021 सायं 05 बजे तक कार्यालय में आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आदेश से

न्यायालय प्रबंधक,
व्यवहार न्यायलय, दरभंगा।
19/01/2021